न्यायालय—उप जिलाधिकारी सदर, आजमगढ़।

वाद सं0 09/अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
बैजनाथ रामनरेश इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोध
एव प्रशिक्षण ट्रस्ट द्वारा श्री राम प्रताप यादव
बनाम
उ0प्र0 सरकार आदि

ग्राम—काजीपुर, टेल्हुआ चकवली
पोस्ट—चिरैयाकोट, परगना— चिरैयाकोट
तहसील—सदर, जिला—आजमगढ़

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा 143 ज0वि0अधि के अन्तर्गत बैजनाथ रामनरेश इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोध एव प्रशिक्षण ट्रस्ट, ग्राम—काजीपुर, पोस्ट—चिरैयाकोट, तहसील—सदर, जिला—आजमगढ़ द्वारा श्री राम प्रताप यादव अध्यक्ष, योजित करते हुए याचना की है कि भूमि गाटा सं0 218/0.416 है0, 222/0.168 है0, 221/0.071 है0, 223/0.011 है0 कुल गाटा 4 रकबा 0.666 है0 स्थित ग्राम— टेल्हुआ चकवली, परगना—चिरैयाकोट, तहसील—सदर, जिला—आजमगढ़ तथा गाटा संख्या— 612 रकबा— 1.474 है0 स्थित ग्राम— काजीपुर, परगना—चिरैयाकोट, तहसील—सदर, जिला—आजमगढ़ प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व उक्त आराजी पर काबिज व दाखिल है। उक्त भूमि को कालेज की स्थापना के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाना सम्भव नही है। उक्त भूखण्ड को संस्था कृषि कार्य के स्थान पर शैक्षणिक कार्य में प्रयोग करना चाहती है। उक्त भूमि पर कालेज भवन का निर्माण कार्य कर रही है। अतः उपरोक्त विवादित आराजी स्थित ग्राम—काजीपुर टेल्हुआ चकवली परगना—चिरैयाकोट, तहसील—सदर, जिला—आजमगढ़ का भू—उपयोग बदलकर शैक्षणिक कार्य हेतु प्रयुक्त करने की याचना की है।
प्रकरण की जांच तहसीलदार सदर आजमगढ़ से करायी गयी। तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 03.01.2014 के आधार पर संचालित किया गया। उन्होने अपनी आख्या में उल्लेख किये है कि गाटा सं0 218/0.416 है0, 222/0.168 है0, 221/0.071 है0, 223/0.011 है0 कुल गाटा 4 रकबा 0.666 है0 स्थित ग्राम— टेल्हुआ चकवली, परगना—चिरैयाकोट, तहसील—सदर, जिला—आजमगढ़ तथा गाटा संख्या— 612 रकबा— 1.474 है0 स्थित ग्राम— काजीपुर, परगना—चिरैयाकोट, तहसील—सदर, जिला—आजमगढ़ जो बैजनाथ रामनरेश इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोध एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट अध्यक्ष राम प्रताप यादव पुत्र श्री बैजनाथ यादव ग्राम काजीपुर के नाम सरकारी अभिलेख मे संक्रमणीय भूमिधर अंकित है किन्तु गाटा सं0 218/0.416 है0, 222/0.168 है0, 221/0.071 है0, 223/0.011 है0 कुल गाटा 4 रकबा 0.666 है0 स्थित ग्राम—टेल्हुआ चकवली, परगना—चिरैयाकोट, तहसील—सदर, जिला—आजमगढ़ तथा गाटा संख्या— 612 रकबा— 1.474 है0 स्थित ग्राम— काजीपुर, परगना—चिरैयाकोट, तहसील—सदर, जिला—आजमगढ़ शैक्षणिक प्रयोजन हेतु प्रयोग होता है, जिसमें कालेज का भवन एवं खेल का मैदान बन रहा है, जिसके कारण उक्त भूमि गैर कृषिक प्रयोजन एवं विशिष्ट अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त होता है। अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है।

President
Baijnath Ramnaresh Institute of
Technology Soth Evam Prashikshan Trust
Azamgarh

प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र चिरैयाकोट
जनपद—आजमगढ़

(6) (11)

पत्रावली में वादीगण का बयान अंकित हुआ, जिसमें उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि उक्त रकबे पर कृषि कार्य नही होता है, वर्तमान समय में शैक्षणिक कार्य हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है। उक्त भूमि के अकृषिक घोषित होने पर लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आख्या प्रारूप 135 में दिया गया है उक्त भूमि अकृषिक के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है तथा अकृषिक घोषित करने पर वादीगण को कोई आपत्ति नही है। मैं तहसीलदार की आख्या से सहमत हूँ। जो स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

तहसीलदार सदर, आजमगढ़ की आख्या दिनांक 03.01.2014 स्वीकार की जाती है। विवादित गाटा सं0 218/0.416 हे0, 222/0.168 हे0, 221/0.071 हे0, 223/0.011 हे0 कुल गाटा 4 रकबा 0.66593 हे0 स्थित ग्राम– टेल्हुआ चकवली, परगना–चिरैयाकोट, तहसील–सदर, जिला–आजमगढ़ तथा गाटा संख्या– 612 रकबा– 1.474 हे0 स्थित ग्राम– काजीपुर, परगना–चिरैयाकोट, तहसील–सदर, जिला–आजमगढ़ को अकृषिक/शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि घोषित की जाती है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर/उपनिबन्धक सदर, आजमगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

(Seal: उपजिलाधिकारी सदर, आजमगढ़)

(Signature) 14/1/14
उपजिलाधिकारी
सदर, आजमगढ़

नकल ... 14/01/2014
नकल जारी करने की तिथि 14/01/2014
प्रतिलिपि शुल्क 12/-
शब्दों की संख्या 314
प्रतिलिपि कर्ता (Signature)
तिथि 14/01/2014

सत्य प्रतिलिपि
(Signature) 14/01/2014
पेशकार
उपजिलाधिकारी
सदर, आजमगढ़

(Signature)
प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रा0 स्वा0 केन्द्र ...
जनपद–आजमगढ़

(Signature) R. Yadav
President
Baijnath Ramnaresh Institute of Technology ... Evam Prashikshan Trust
Azamgarh